



कार्यालय :- अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,

झारखण्ड, राँची

वन भवन, डोरण्डा, राँची

E-mail :- apccfdevjhk@jharkhandmail.gov.in, Phone & Fax No. 0651-2481813



पत्रांक : 01 / यो०ब० -20 / 2017-284 दिनांक : 27.02.2018

प्रेषक,

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास
झारखण्ड, राँची ।

सेवा में,

वन प्रमंडल पदाधिकारी, सामाजिक वानिकी प्रमंडल, हजारीबाग / सामाजिक वानिकी प्रमंडल, सिमडेगा / सामाजिक वानिकी प्रमंडल, कोडरमा / गोड्डा वन प्रमंडल / गिरिडीह पश्चिमी वन प्रमंडल / बोकारो वन प्रमंडल ।

विषय :-

वित्तीय वर्ष 2017-18 में कार्यान्वित की जाने वाली "मुख्यमंत्री जन वन योजना" योजना (निजी भूमि पर वृक्षारोपण प्रोत्साहन की योजना) (अन्य व्यय) के अंतर्गत फलदार पौधों का वृक्षारोपण एवं काष्ट प्रजाति का वृक्षारोपण का घेरान कार्य के साथ (ट्रैंच/झाड़ी) अग्रिम कार्य (प्रथम वर्ष) हेतु **8.096** (आठ लाख नौ हजार छ: सौ) रु० मात्र राशि का ऑन लाईन उप आवंटन (Online Sub Allotment) ।

प्रसंग:-

विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या 4/यो०बजट-48/2016-37/स्वी० व०प० दिनांक 30.11.2017 एवं विभागीय आवंटन आदेश संख्या 4/यो० बजट-48/2016-81/आ० व०प० दिनांक 12.12.2017 ।

महाशय,

उपरोक्त विषयक प्रसंगाधीन पत्र के आलोक में बजट मुख्य शीर्ष-2406-वानिकी तथा वन्य प्राणी, उप मुख्य शीर्ष- 01 वानिकी, लघु शीर्ष- 102 समाज तथा फार्म वानिकी, उप शीर्ष- 55 मुख्यमंत्री जन वन योजना के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2017-18 में कुल रु० 8.096 (आठ लाख नौ हजार छ: सौ) रु० मात्र का उप आवंटन निम्नलिखित इकाईयों में किया जाता है :-

क्र० सं०	प्राथमिक इकाई	विपत्र कोड़	राशि (लाख में)
1	मजदूरी	19S240601102550103	3.358
2	आपूर्ति एवं सामग्री	19S240601102550323	4.738
कुल योग :-			8.096

2. इस योजना अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2017-18 में राज्य में वन अच्छादित क्षेत्र को बढ़ाने हेतु निजी भूमि पर वृक्षारोपण को बढ़ावा देकर किसानों की आय के साधन में वृद्धि के साथ-साथ राज्य के अधिसूचित वनों पर दबाव कम करने के लिए "मुख्यमंत्री जन वन योजना" नामक एक नई योजना प्रारंभ की गई है। इस योजना के अन्तर्गत राजस्व अभिलेखों के अनुसार उचित स्वामित्व रखने वाले व्यक्ति को उनके द्वारा स्वेच्छा से विभाग द्वारा

निर्धारित प्रक्रिया एवं प्रजातियों का अपनी निजी भूमि पर (ब्लॉक वृक्षारोपण अथवा खेत की मेड़ पर रेखिक वनरोपण) वृक्षारोपण हेतु प्रेरित किया जाएगा। प्रोत्साहन—स्वरूप वृक्षारोपण एवं उसके रख—रखाव पर हुए व्यय के 50 प्रतिशत अंश की प्रतिपूर्ति विभाग द्वारा की जायेगी।

3. वन प्रमंडल पदाधिकारी द्वारा सम्यक जाँचोंपरान्त द्वारा माह दिसम्बर में उसका सत्यापन करके जनवरी माह में उत्तरजीविता के आधार पर प्रोत्साहन राशि का भुगतान प्रत्येक जिला के उत्तरजीविता का सत्यापन के अनुरूप राशि निकासी कर लाभुकों के खाते में हस्तान्तरित की जाएगी।

4. यदि प्रथम से द्वितीय वर्ष की किस्त के रूप में द्वितीय पक्ष को अतिरेक राशि का भुगतान हो गया होगा तो अंतिम किस्त की राशि भुगतान करते समय पूर्व में भुगतेय ऐसी राशि का समायोजन करने के पश्चात् ही अंतिम भुगतान किया जायेगा।

5. प्रमंडलवार उप—आवंटित की जा रही राशि का वित्तीय लक्ष्य अनुलग्नक—1 पर तथा कार्य दर अनुलग्न—2(क), 2(ख) एवं 2(ग) पर द्रष्टव्य है, जिसके अनुसार लाभुकों को 50 प्रतिशत प्रोत्साहन राशि का भुगतान किया जाएगा। ऑन लाईन उप—आवंटन की प्रति अनुलग्नक—3 पर संलग्न है।

6. वर्तमान में योजना के Website पर upload किये गये राशि में वृद्धि कर उप—आवंटन निर्गत किया जा रहा है, ताकि लाभुकों को प्रोत्साहन राशि का भुगतान में विलम्ब न हों। शेष भुगतान हेतु राशि का उप—आवंटन योजना के Website पर upload करने के पश्चात तथा पत्र के साथ संलग्न प्रपत्र—4 के रूप में मांग प्रतिवेदन के पश्चात ही उप—आवंटन निर्गत किया जाएगा।

7. राशि की निकासी योजना के Website पर upload करने के पश्चात हीं की जाएगी तथा इस पत्र के साथ संलग्न प्रपत्र—4 में सप्ताहिक प्रगति प्रतिवेदन से अवगत कराना, निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की व्यक्तिगत जिम्मेवारी होगी।

8. इस योजना के नियंत्री पदाधिकारी प्रधान मुख्य वन संरक्षक, झारखण्ड होंगे, जिनके मार्गदर्शन में अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास, झारखण्ड के द्वारा योजना कार्यान्वयन का सतत अनुश्रवण सुनिश्चित किया जाएगा। योजनान्तर्गत प्रत्येक माह हेतु निर्धारित वित्तीय एवं भौतिक लक्ष्य के विरुद्ध प्रगति से वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग को अवगत कराया जाएगा।

9. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारियों द्वारा योजना का सफल कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जायेगा। निकासी एवं व्ययन पदाधिकारियों के द्वारा कार्यान्वयनाधीन योजनाओं का नियमित निरीक्षण करते हुए निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार कार्य सम्पन्न कराया



जाएगा तथा प्रत्येक माह की पाँच तारीख तक अपनी नियंत्री पदाधिकारी को वित्तीय एवं भौतिक प्रगति प्रतिवेदन समर्पित किया जाएगा।

10. स्वीकृत राशि की निकासी वित्त विभागीय पत्रांक 2561 दिनांक 17.04.1998 एवं समय-समय पर निर्गत परिपत्रों के आलोक में अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास से उप आवंटन प्राप्त हाने के उपरांत की जाएगी।

11. राशि की निकासी संबंधित जिलों में अवस्थित कोषागार/उप कोषागार से की जायेगी तथा झारखण्ड कोषागार संहिता के नियम-174 एवं सभी वित्तीय नियमों का अनुपालन दृढ़ता पूर्वक किया जाएगा। लाभुकों का Pay -id बनाकर कोषागार में समर्पित किया जाएगा, ताकि लाभुकों को प्रात्साहन राशि का भुगतान सीधे कोषागार से उनके खाता में हो सके।

12. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारियों द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि किसी भी परिस्थिति में लाभुकों को जन वन योजना की निर्देशिका में निर्धारित देय प्रतिपूर्ति राशि से अधिक की निकासी एवं व्यय नहीं किया जायेगा।

13. मजदूरी का भुगतान श्रम नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग, झारखण्ड सरकार द्वारा निर्धारित अद्यतन दर के अनुरूप किया जाएगा। मजदूरी मद में स्वीकृत राशि का व्यय योजना के परिमाणकों के अंतर्गत एवं निर्धारित मजदूरी दर के अनुरूप वास्तविक व्यय तक सीमित रखना सुनिश्चित किया जाएगा।

14. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि इस योजना अंतर्गत प्रोत्साहन राशि का भुगतान लाभुकों के बैंक खाते/डाक घर खाते में ही किया जाएगा।

15. योजनाओं में सामग्री का क्रय वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर निर्गत दिशा-निर्देश एवं वित्तीय नियमों तथा वन एवं पर्यावरण विभाग के संकल्प सं0 940 दिनांक 16.03.2016 द्वारा क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक/मुख्य वन संरक्षक को अध्यक्षता में गठित क्रय समिति की अनुशंसाओं के अनुसार की जाएगी।

16. इस योजनांतर्गत वानिकी कार्यों का सम्पादन विभागीय अधिसूचना संख्या 2371 दिनांक 05.05.2015 में निरूपित प्रावधानों के तहत सक्षम प्राधिकार से अनुमोदित दर पर किया जायेगा तथा योजनान्तर्गत किये जाने वाले ऐसे कार्य जिनकी दर विभागीय अधिसूचना सं0-2371 दिनांक 05.05.2015 में निरूपित प्रावधानों के कार्यक्षेत्र से बाहर है, की दर का निर्धारण योजना के नियंत्री पदाधिकारी द्वारा वित्त विभाग के द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अनुरूप किया जायेगा।

17. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा Account Code Vol (III) की धारा 288 के अनुसार अपने कार्यालय का मासिक लेखा आगामी माह की 5वीं तारीख तक महालेखाकार कार्यालय में जमा करना सुनिश्चित किया जायेगा तथा लेखा का त्रैमासिक Reconciliation समय निश्चित रूप से कराना सुनिश्चित किया जायेगा।



18. स्वीकृत राशि का भुगतान वित्त विभागीय पत्रांक—3542, दिनांक—19.12.2013 में निरूपित प्रावधानों के अनुरूप किया जायेगा।

19. यह राशि पूर्व में उप—आवंटित राशि के अतिरिक्त है।

20. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि इस योजना अन्तर्गत मजदूरी मद में मजदूरों को भुगतान श्रम नियोजना, प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग के निर्धारित दर तक सिमित रहेगा एवं भुगतान की जाने वाली राशि का भुगतान मजदूरों के बैंक खाते/डाक घर खाते के माध्यम से ही किया जायेगा, साथ ही सामग्री के भुगतान के संबंध में विभागीय पत्रांक—1204, दिनांक—20.03.2017 का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

अनुलग्नक :- यथोक्त ।

विश्वासभाजन,

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,
झारखण्ड, राँची

ज्ञापांक— 01 / यो0ब0—20 / 2017—284 दिनांक— 27.02.2018

प्रतिलिपि :— अनुलग्नक सहित अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं निदेशक, प्रसार वानिकी, उत्तरी छोटानागपुर, हजारीबाग/दक्षिणी छोटानागपुर, राँची/क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक, दुमका/बोकारो/वन संरक्षक, प्रादेशिक अचंल, दुमका/बोकारो/गिरिडीह एवं इनविस सेंटर, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनुलग्नक :- यथोक्त ।

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,
झारखण्ड, राँची

ज्ञापांक— 01 / यो0ब0—20 / 2017—284 दिनांक— 27.02.2018

प्रतिलिपि :— अनुलग्नक सहित कोषागार पदाधिकारी, हजारीबाग/सिमडेगा/कोडरमा/गोड्डा/गिरिडीह/बोकारो को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


अनुलग्नक :- यथोक्त ।

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,
झारखण्ड, राँची

वित्तीय वर्ष 2017-18 में कार्यान्वित की जानेवाली मुख्यमंत्री जन वन योजना (अन्य व्यय) अन्तर्गत निजी भूमि पर काष्ठ एवं फलदार प्रजाति के पौधों (काष्ठ प्रजाति 445 एवं फलदार प्रजाति 160 पौधा प्रति एकड़ ट्रैच घेरान के साथ) का वृक्षारोपण हेतु प्रमंडलवार भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य

क्र० सं०	निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी / वन प्रमण्डल पदाधिकारी का नाम	कुल वित्तीय लक्ष्य (लाख में)		
		मजदूरी	आपूर्ति एवं सामग्री	कुल
i	ii	iii	iv	v
1	सामाजिक वानिकी प्रमण्डल, हजारीबाग	0.874	1.225	2.099
3	सामाजिक वानिकी प्रमण्डल, सिमडेगा	0.983	1.378	2.361
5	सामाजिक वानिकी प्रमण्डल, कोडरमा	0.218	0.306	0.524
2	गोड्डा वन प्रमण्डल, गोड्डा	0.847	1.217	2.064
4	गिरिडीह पश्चिमी वन प्रमण्डल, गिरिडीह	0.218	0.306	0.524
6	बोकारो वन प्रमण्डल, बोकारो	0.218	0.306	0.524
कुल योग :-		3.358	4.738	8.096

अपर प्रधान मुख्य वन संस्करण, विकास,
झारखण्ड, राँची।



वृक्षारोपण की अनुसूचित कार्य दर

योजना का नाम : "मुख्यमंत्री जन वन विकास योजना" (निजी भूमि पर वृक्षारोपण प्रोत्साहन की योजना)

पौधों की संख्या प्रति एकड़ : 160 पौधे (फलदार / कलमी पौधे)

स्पेसिंग 5 मी. x 5 मी.

प्रजातियाँ— कलमी आम, कटहल, अमरुद, आँवला, बेल, लीची आदि

क्रम	कार्य का विवरणी	इकाई	मानव दिवस	मजदूरी (रु० में)	सामग्री (रु० में)	कुल व्यय (रु० में)	लाभुकों को प्रति पौधा देय प्रोत्साहन राशि (50 प्रतिशत)	अम्युक्ति
i	ii	iii	iv	v	vi	vii	viii	ix
क	वित्तीय वर्ष 2017–18 में (अभियान कार्य एवं समापन कार्य) मजदूरी दर प्रति मानव दिवस : रु० 229.90 रु० प्रति मानव दिवस							
1	मूदा कार्य : पौधा लगाने हेतु 2'x2'x2' आकार का गडडा बनाना एवं खोटी गई मिट्टी को समुचित स्थल पर संचित करना @160 पौधे प्रति एकड़	एकड़	26.00	5977.40	0.00	5977.40	18.68	
2	पौधों का क्रय @60 रु० प्रति पौधा (परिवहन सहित) @160 पौधे प्रति एकड़ (5% अतिरिक्त पौधे का क्रय किया जाएगा)	एकड़	0.00	0.00	9600.00	9600.00	30.00	पौधे विभागीय स्तर से उपलब्ध कराये जायेंगे। लाभुक द्वारा पौधों की व्यवस्था स्वयं करने पर 30.00 रु० प्रति पौधा या वास्तविक दर जो कम हो की दर से राशि देय होगी
3	वृक्षारोपण	एकड़	24	5517.60	0.00	5517.60	17.24	
4	दो कोड़नी एवं निकौनी	एकड़	4.00	919.60	0.00	919.60	2.87	
5	पौधों की सुरक्षा			0.00	0.00	0.00	0.00	लाभुक की जिम्मेवारी होगी
6	सामग्री (बीज, उर्वरक, कम्पोस्ट खाद, डी०ए०पी०/यूरिया, जैविक खाद, किटनासक आदि)	एकड़	0.00	0.00	1600.00	1600.00	5.00	
	योग		54.00	12414.60	11200.00	23614.60	73.80	
ख	वित्तीय वर्ष 2018–19 में सम्पोषण कार्य (द्वितीय वर्ष) मजदूरी दर प्रति मानव दिवस : रु० 264.39 (वृद्धि 15 प्रतिशत)							
1	दो कोड़नी-निकौनी	एकड़	4.00	1057.56	0.00	1057.56	3.30	
2	सामग्री (बीज, उर्वरक, कम्पोस्ट खाद, डी०ए०पी०/उरिया, जैविक किटनासक आदि)	एकड़	0.00	0.00	800.00	800.00	2.50	
3	पानी पटवन			0.00	0.00	1600.00	1600.00	5.00
4	पौधों की सुरक्षा	एकड़	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	लाभुक की जिम्मेवारी होगी
	योग		4.00	1057.56	2400.00	3457.56	10.80	

क्रम	कार्य का विवरणी	इकाई	मानव दिवस	मजदूरी (रु० में)	सामग्री (रु० में)	कुल व्यय (रु० में)	लाभुकों को प्रति पौधा देय प्रोत्साहन राशि (50 प्रतिशत)	अभ्युक्ति
i	ii	iii	iv	v	vi	vii	viii	ix
ग	वित्तीय वर्ष 2019–20 में सम्पोषण कार्य (तृतीय वर्ष) मजदूरी दर प्रति मानव दिवस : रु० 304.04 (वृद्धि 15 प्रतिशत)							
1	दो कोड़नी-निकौनी	एकड़	4.00	1216.16	0.00	1216.16	3.80	
2	सामग्री (बीज, उर्वरक, कम्पोस्ट खाद, डी०ए०पी०/यूरिया, जैविक खाद, किटनासक आदि)	एकड़	0.00	0.00	800.00	800.00	2.50	
3	पानी पटवन	एकड़	0.00	0.00	1600.00	1600.00	5.00	
4	पौधों की सुरक्षा	एकड़	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	लाभुक की जिम्मेवारी होगी
5	घेरान मरम्मति @2.5 चेन प्रति एकड़	एकड़	3.0	2280.30	0.00	2280.30	7.13	
	योग		7.0	3496.46	2400.00	5896.46	18.43	
	सकल योग		65.0	16968.62	16000.00	32968.62	103.03	

अपर प्रदान ख्य वन संरक्षक, विकास,
झारखण्ड, राँची।

वृक्षारोपण की अनुसूचित कार्य दर

योजना का नाम : "मुख्यमंत्री जन वन विकास योजना" (निजी भूमि पर वृक्षारोपण प्रोत्साहन की योजना)

पौधों की संख्या प्रति एकड़ : 445 पौधे (काष्ठ प्रजातियों का वनरोपण)

स्पेसिंग 3 मी. x 3 मी. एवं मेड के किनारे 2 मी x 2 मी प्रजातियाँ—शीसम, सागवान, गम्हार, महोगनी, क्लोनल, यूकोलिप्टस, एकासिया आदि

क्रम	कार्य का विवरणी	इकाइ	मानव दिवस	मजदूरी (रु० में)	सामग्री (रु० में)	कुल व्यय (रु० में)	लाभुकों को प्रति पौधा देय प्रोत्साहन राशि (50 प्रतिशत)	अन्युक्ति
i	ii	iii	iv	v	vi	vii	viii	ix
क	वित्तीय वर्ष 2017-18 में (अग्रिम कार्य एवं समापन कार्य) मजदूरी दर प्रति मानव दिवस : रु० 229.90 रु० प्रति मानव दिवस							
1	मृदा कार्य (0.3 मी. x 0.3 मी. x 0.3 मी.) 0.027 वर्ग मी० 445 पौट प्रति एकड़ (संरेखन सहित)	एकड़	10.00	2299.00	0.00	2299.00	2.58	
2	पौधों का क्रय @20 रु० प्रति पौधा (परिवहन सहित)	एकड़	0.00	0.00	8900.00	8900.00	10.00	पौधे विभागीय स्तर से उपलब्ध कराये जायेंगे। लाभुक द्वारा पौधों की व्यवस्था स्वयं करने पर 10.00 रु० प्रति पौधा की दर से राशि देय होगी
3	वृक्षारोपण	एकड़	10.00	2299.00	0.00	2299.00	2.58	
4	दो कोड़नी एवं निकौनी	एकड़	11.00	2528.90	0.00	2528.90	2.84	
5	पौधों की सुरक्षा		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	लाभुक की जिम्मेवारी होगी
6	सामग्री (बीज, उर्वरक, कम्पोस्ट खाद, डी०ए०पी०/यूरिया, जैविक खाद, कीटनाशक आदि)	एकड़	0.00	0.00	700.00	700.00	0.79	
	योग		31.00	7126.90	9600.00	16726.90	18.79	
ख	वित्तीय वर्ष 2018-19 में सम्पोषण कार्य (द्वितीय वर्ष) मजदूरी दर प्रति मानव दिवस : रु० 264.39 (वृद्धि 15 प्रतिशत)							
1	एक कोड़नी-निकौनी	एकड़	6.00	1586.34	0.00	1586.34	1.78	
2	सामग्री (बीज, उर्वरक, कम्पोस्ट खाद, डी०ए०पी०/उरिया, जैविक कीटनाशक आदि)	एकड़	0.00	0.00	350.45	350.45	0.39	
3	पानी पटवन	एकड़	0.00	0.00	4450.00	4450.00	5.00	
4	पौधों की सुरक्षा	एकड़	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	लाभुक की जिम्मेवारी होगी
	योग		6.00	1586.34	4800.45	6386.79	7.18	
ग	वित्तीय वर्ष 2019-20 में सम्पोषण कार्य (तृतीय वर्ष) मजदूरी दर प्रति मानव दिवस : रु० 304.04 (वृद्धि 15 प्रतिशत)							
1	एक कोड़नी-निकौनी	एकड़	6.00	1824.24	0.00	1824.24	2.05	
2	सामग्री (बीज, उर्वरक, कम्पोस्ट खाद, डी०ए०पी०/यूरिया, जैविक खाद, कीटनाशक आदि)	एकड़	0.00	0.00	350.45	350.45	0.39	

क्रम	कार्य का विवरणी	इकाई	मानव दिवस	मजदूरी (₹० में)	सामग्री (₹० में)	कुल व्यय (₹० में)	लाभुको को प्रति पौधा देय प्रोत्साहन राशि (50 प्रतिशत)	अन्युपित
i	ii	iii	iv	v	vi	vii	viii	ix
3	पानी पटवन	एकड़	0.00	0.00	4450.00	4450.00	5.00	
4	पौधों की सुरक्षा	एकड़	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	लाभुक द्वारा की जायेगी।
5	घेरान मरम्मति @2.5 चेन प्रति एकड़	एकड़	3.00	2280.30	0.00	2280.30	2.56	
	योग		9.00	4104.54	4800.45	8904.99	10.01	
	सकल योग		46.00	12817.78	19200.90	32018.68	35.98	

अपर प्रधान मुख्य वन सरकार, विकास,
झारखण्ड, राँची।

वृक्षारोपण की अनुसूचित कार्य दर

योजना का नाम : "मुख्यमंत्री जन वन विकास योजना"(निजी भूमि पर वृक्षारोपण प्रोत्साहन की योजना)

पौधों की संख्या प्रति एकड़

मजदूरी प्रति मानव दिवस (₹० में)

फलदार प्राजाति हेतु स्पेसिंग ५मी० x ५मी०

काष्ठ प्राजाति हेतु स्पेसिंग ३मी० x ३मी० एवं मेड के किनारे २ मी० x २ मी०

445 पौधों (काष्ठ प्रजातियों का वनरोपण)


160 पौधे (फलदार प्रजातियों का वनरोपण)

229.90 प्रति मानव दिवस

फलदार प्रजातियाँ— कलमी आम, कटहल, अमरुद, आँवला, बेल, लीची, आदि

काष्ठ प्रजातियाँ— शीसम, सागवान, गम्हार, महोगनी, कलोनल, यूकोलिप्टस, एकासिया आदि

क्रम	कार्य का विवरणी	इकाई	मानव दिवस	मजदूरी (₹० में)	सामग्री (₹० में)	कुल व्यय (₹० में)	लाभुकों को प्रति पौधा देय राशि	काष्ठ प्रजाति	फलदार प्रजाति
1	2	3	4	6	5	7			9
क) वित्तीय वर्ष 2017-18 में अग्रिम कार्य (प्रथम वर्ष)									
1	मशीन द्वारा ट्रैच खुदाई इंसिंग सहित (जल संसाधन विभाग की अनुसूचित दर सूची दिनांक 01.04.2014 से लागू का आईटम संख्या 7.1.43.1 से 9.1 प्रतिशत संवेदक लाभ घटाकर दर) प्रति एकड़ अधिकतम 2.5 चेन	2.5 चेन प्रति एकड़	5.00	1149.50	4909.48	6058.98	6.81	18.93	
2	झाड़ी धेरान (2.5 X 6 मानव दिवस) (प्रति एकड़ अधिकतम 2.5 चेन)	2.5 चेन प्रति एकड़	15.00	3448.50	62.50	3511.00	3.94	10.97	
कुल :-			20.00	4598.00	4971.98	9569.98	10.75	29.91	



अपार प्रधान मुख्य वन समिक्षक, बैलास,
झारखण्ड, राँची।



झारखण्ड सरकार

आवंटन आदेश

झारखण्ड सरकार

चालू वित्तीय वर्ष 2017-18 में व्यय हेतु निम्नांकित दर्शाए गए बंजट शीर्ष के सामने अंकित राशि आवंटित की जाती है।

पत्र संख्या - 01/YB-20/2017/284

दिनांक -

27-Feb-2

क्रमांक	विपत्र कोड	एक्सेस नं	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
1	S 19 240601102550103	100652	HZBFWL007	87,400.00
	2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी			
	01 - वानिकी		SHREE BHAGWAN	रुपये सित्यारी हजार चार सौ
	102 - समाज तथा फार्म वानिकी		MISHRA, I.F.S.	
	55 - मुख्यमंत्री जन-वन योजना		D.F.O., S. F. DIV.,	
	01 - वेतन एवं भर्ते		HAZARIBAG	
	03 - मजदूरी			
	State Scheme			
	State Scheme :	MUKHYAMANTRI JAN-VAN YOJNA(1275)		
	Central Scheme :	NA		
2	S 19 240601102550103	100655	SDGAIF002	98,300.00
	2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी			
	01 - वानिकी		SRI NIRANJAN PRASAD	रुपये अठानवे हजार तीन सौ
	102 - समाज तथा फार्म वानिकी		DEO	
	55 - मुख्यमंत्री जन-वन योजना		DIV. F O SOC.	
	01 - वेतन एवं भर्ते		FORESTRY SIMDEGA	
	03 - मजदूरी			
	State Scheme			
	State Scheme :	MUKHYAMANTRI JAN-VAN YOJNA(1275)		
	Central Scheme :	NA		
3	S 19 240601102550103	100657	KDMFORA02	21,800.00
	2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी			
	01 - वानिकी		RAMESH PRASAD	रुपये इक्कीस हजार आठ सौ
	102 - समाज तथा फार्म वानिकी		KAMAL	
	55 - मुख्यमंत्री जन-वन योजना		D.F.O (S.F.) KODERMA	
	01 - वेतन एवं भर्ते			
	03 - मजदूरी			
	State Scheme			
	State Scheme :	MUKHYAMANTRI JAN-VAN YOJNA(1275)		
	Central Scheme :	NA		
				207,500.00

योगः

क्रमिक योगः

रुपये दो लाख सात हजार पॉच सौ

ADDI.PODMANVANAFRIHAND

(SHRI SATNAM SINGH)

122.252.250.38

RANCHI

Run Date:

27/2/2018

क्रमांक	विपत्र कोड	एक्सेस नं	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
4	S 19 240601102550103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 102 - समाज तथा फार्म वानिकी 55 - मुख्यमंत्री जन-वन योजना 01 - वेतन एवं भत्ते 03 - मजदूरी State Scheme State Scheme : MUKHYAMANTRI JAN-VAN YOJNA(1275) Central Scheme : NA	100658	GDDFOR164 RAM BHARAT DFO GODDA FOREST DIVISION	84,700.00
5	S 19 240601102550103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 102 - समाज तथा फार्म वानिकी 55 - मुख्यमंत्री जन-वन योजना 01 - वेतन एवं भत्ते 03 - मजदूरी State Scheme State Scheme : MUKHYAMANTRI JAN-VAN YOJNA(1275) Central Scheme : NA	100659	GRDFOR003 SRI JANARDAN PRASAD KESHRI D.F.O. GIRIDIH WEST FOR. DIV.	21,800.00
6	S 19 240601102550103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 102 - समाज तथा फार्म वानिकी 55 - मुख्यमंत्री जन-वन योजना 01 - वेतन एवं भत्ते 03 - मजदूरी State Scheme State Scheme : MUKHYAMANTRI JAN-VAN YOJNA(1275) Central Scheme : NA	100660	BKRFOR001 P.R. NAIDU D F O, BOKARO	21,800.00

योगः

क्रमिक योगः:

रुपये तीन लाख पैसों हजार आठ सौ

128,300.00

335,800.00

(SHRI SATNAM SINGH)

ADDI.PODPDI VANAFRIHAND

क्रमांक	विपत्र कोड	एक्सेस नं	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
7	S 19 240601102550323	100663	HZBFWL007	122,500.00
	2406 - वानिकी तथा बन्य प्राणी			
	01 - वानिकी		SHREE BHAGWAN	रुपये एक लाख बाइस हजार पौंच
	102 - समाज तथा फार्म वानिकी		MISHRA, I.F.S.	सौ
	55 - मुख्यमंत्री जन-वन योजना		D.F.O., S. F. DIV.,	
	03 - प्रशासनिक व्यय		HAZARIBAG	
	23 - आपूर्ति एवं सामग्री			
	State Scheme			
	State Scheme : MUKHYAMANTRI JAN-VAN YOJNA(1275)			
	Central Scheme : NA			
8	S 19 240601102550323	100664	SDGAIF002	137,800.00
	2406 - वानिकी तथा बन्य प्राणी			
	01 - वानिकी		SRI NIRANJAN PRASAD	रुपये एक लाख सैतीस हजार आठ
	102 - समाज तथा फार्म वानिकी		DEO	सौ
	55 - मुख्यमंत्री जन-वन योजना		DIV. F O SOC.	
	03 - प्रशासनिक व्यय		FORESTRY SIMDEGA	
	23 - आपूर्ति एवं सामग्री			
	State Scheme			
	State Scheme : MUKHYAMANTRI JAN-VAN YOJNA(1275)			
	Central Scheme : NA			
9	S 19 240601102550323	100665	KDMFORA02	30,600.00
	2406 - वानिकी तथा बन्य प्राणी			
	01 - वानिकी		RAMESH PRASAD	रुपये तीस हजार छ: सौ
	102 - समाज तथा फार्म वानिकी		KAMAL	
	55 - मुख्यमंत्री जन-वन योजना		D.F.O (S.F.) KODERMA	
	03 - प्रशासनिक व्यय			
	23 - आपूर्ति एवं सामग्री			
	State Scheme			
	State Scheme : MUKHYAMANTRI JAN-VAN YOJNA(1275)			
	Central Scheme : NA			

योग:

290,900.00

क्रमिक योग:

रुपये छ: लाख छब्बीस हजार सात सौ

626,700.00

(SHRI SATNAM SINGH)

ADDI.PC.DEP.WANFSRSHAND

क्रमांक	विपत्र कोड	एक्सेस नं	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
10	S 19 240601102550323	100666	GDDFOR164 RAM BHARAT DFO GODDA FOREST DIVISION	121,700.00
	2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 102 - समाज तथा फार्म वानिकी 55 - मुख्यमंत्री जन-वन योजना 03 - प्रशासनिक व्यय 23 - आपूर्ति एवं सामग्री State Scheme State Scheme : MUKHYAMANTRI JAN-VAN YOJNA(1275) Central Scheme : NA			रुपये एक लाख इक्कीस हजार सात सौ
11	S 19 240601102550323	100667	GRDFOR003 SRI JANARDAN PRASAD KESHRI D.F.O. GIRIDIH WEST FOR. DIV.	30,600.00
	2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 102 - समाज तथा फार्म वानिकी 55 - मुख्यमंत्री जन-वन योजना 03 - प्रशासनिक व्यय 23 - आपूर्ति एवं सामग्री State Scheme State Scheme : MUKHYAMANTRI JAN-VAN YOJNA(1275) Central Scheme : NA			रुपये तीस हजार छ: सौ
12	S 19 240601102550323	100668	BKRFOR001 P.R. NAIDU D F O, BOKARO	30,600.00
	2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 102 - समाज तथा फार्म वानिकी 55 - मुख्यमंत्री जन-वन योजना 03 - प्रशासनिक व्यय 23 - आपूर्ति एवं सामग्री State Scheme State Scheme : MUKHYAMANTRI JAN-VAN YOJNA(1275) Central Scheme : NA			रुपये तीस हजार छ: सौ
योग:				182,900.00
ऋग्मिक योग:				809,600.00
 (SHRI SATNAM SINGH) ADDI.PODISHWANAFORSHAND				

मुख्यमंत्री जन वन योजना का सप्ताहिक प्रगति प्रतिवेदन।

वन प्रमंडल का नाम :-

क्र0 स0	लाभुकों की संख्या	रोपित पौधों की रक्षा (एकड़ में)		रोपित पौधों की संख्या		लाभुकों को देय प्रोत्साहन राशि		किए गये धेरान कार्य अधिकतम @ 2.5 चेन प्रति एकड़		धेरान कार्य का देय प्रोत्साहन राशि	कुल भुगतान की गयी राशि	
		काष्ट प्रजाति	फलदार प्रजाति	कुल	फलदार प्रजाति	कुल	फलदार प्रजाति	कुल	ट्रैच / झाड़ी धेरान कार्य लम्बाई चेन में			
i	ii	iii	iv	v	vi	vii	viii	ix	x	xi	xii	xiii
												xiv
												xv

**प्रपत्र के अनुसार इकाईवार
उप-आवंटन हेतु मांग की जा रही
राशि**

प्राथमिक इकाई राशि (लाख में)

मजदूरी
आपूर्ति एवं सामग्री
कुल

प्रमाणित किया जाता है कि उपर वर्णित लाभुकों का दावा मुख्य मंत्री जन वन योजना के Website पर upload किया गया है।

निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी
का हस्ताक्षर